

राज्यों को मलिना चाहयि कर छूट में संदेह का लाभ: सुप्रीम कोरट

चर्चा में कयों?

हाल ही में न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय की एक पाँच सदस्यीय पीठ ने 21 साल पुराने फैसले को पलटते हुए फैसला सुनाया कि जब कर छूट अधिसूचना में चीजें स्पष्ट न हो तो ऐसी अनश्चितता का लाभ राज्य के पक्ष में जाना चाहयि।

परमुख बदि

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदकिर देनदारी संबंधी अधिनियम में चीजें अस्पष्ट हों तो संदेह का लाभ करदाता को मलिना चाहयि।
- पीठ ने कहा कि सरकार की कर रियायत संबंधी अधिसूचना में संदेह की स्थिति में उसके लाभ का दावा करदाता नहीं कर सकता। न्यायालय का मानना है कि ऐसी अधिसूचना का गहराई से विश्लेषण कयि जाने की आवश्यकता है।
- न्यायालय के अनुसार, लाभ की प्रासंगिकता साबति करने की जवाबदेही करदाता पर होगी और करदाता को यह साबति करना होगा कि उसका मामला छूट उपबंध या छूट अधिसूचना के मानदंडों के अंतर्गत आता है।
- न्यायालय के अनुसार, जब भी कर रियायत अधिसूचना में कोई संदेह होता है तो इस प्रकार की संदेह की स्थिति का दावा करदाता द्वारा नहीं कयि जा सकता और इसे राजस्व (सरकार) के पक्ष में परभाषति कयि जाना चाहयि।
- संवधान पीठ ने 1997 में तीन न्यायाधीशों की पीठ के उस आदेश को पलट दयि। जिसमें पीठ ने सन एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन बनाम सीमा शुल्क कलेक्टर, बॉम्बे के बीच के वविद में यह व्यवस्था दी थी कि कर छूट प्रावधान में अगर कोई संदेह पैदा होता है तो इसे करदाता के पक्ष में परभाषति होना चाहयि और वह इस छूट का दावा कर रहा है।
- सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार, सन एक्सपोर्ट मामले में फैसला सही नहीं था और जो भी फैसले सन एक्सपोर्ट मामले की तरह के हुये उन्हें पलटा हुआ माना जायेगा।